

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला अवर निबंधक,
राँची, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा,
खूँटी, सरायकेला-खरसावाँ, चतरा, पाकुड़, लातेहार,
रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं प0 सिंहभूम, चाईबासा।

राँची, दिनांक-18-10-2024

विषय:- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2030-स्टाम्प पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष-03-पंजीकरण, लघुशीर्ष-001-निर्देशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष-02-जिला प्रभार के अंतर्गत विभिन्न इकाईयों में कुल ₹2,82,00,000/- (दो करोड़ बेरासी लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विषयांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत वेतन एवं अन्य इकाईयों में कुल ₹2,82,00,000/- (दो करोड़ बेरासी लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 में दिया गया है।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।
5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।
6. सभी DDOs को निर्देश दिया जाता है कि सरकारी आवास में रहने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि वह HRA नहीं ले रहे हैं एवं लाईसेंस फी की कटौती हो रही है।
7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या-38 के अतिरिक्त विपत्र कोड का इकाईवार उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
10. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।
11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shee

18/X

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—

90/अ/रा

राँची, दिनांक—

18-10-2024

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला कोषागार

पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shee

18/X/XXIV

सरकार के सचिव।

10/नि.स्था. व्यय. आ10-19/2024-25... 90/37 रा., दिनांक- 18-10-2024

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2030-स्टाम्प पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष-03-पंजीकरण, लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष-02-जिला प्रभार के अंतर्गत राशि की आवंटन विवरणी

क्र. संख्या	जिला का नाम	डी.डी.ओ. कोड	वेतन	देशीय यात्रा भत्ता	व्यवसायिक सेवाएँ	कुल
1	RANCHI	RNCSNR003	7000000	0	0	7000000
2	HAZARIBAGH	HZBSNR002	4000000	0	0	4000000
3	JAMSHEDPUR	JSRSNR003	3000000	100000	400000	3500000
4	GIRIDIH	GRDSNR002	3000000	0	0	3000000
5	PALAMU	PLMSNR001	1500000	0	0	1500000
6	GARHWA	GRHSNR001	500000	0	0	500000
7	SERAIKELLA	SKLSNR001	2000000	0	0	2000000
8	CHATRA	CTRSNR001	1000000	0	0	1000000
9	PAKUR	PKRSNR001	1500000	0	0	1500000
10	LATEHAR	LTRSNR001	1000000	0	0	1000000
11	RAMGARH	RGHSNR 006	500000	0	200000	700000
12	KHUNTI	RNCSNRK01	0	0	500000	500000
13	CHAIBASA	SGHSNR001	2000000	0	0	2000000
Total			27000000	100000	1100000	28200000

(Signature)
18/10/24
(चन्द्रशेखर)

सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

(Stamp)